कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2095/12–1 (1) दिनांक, देहरादून, 07 अप्रैल 2017।

सेवा में,

1) प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

2) अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निगम,
उत्तरकाशी।

विषय : **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अंतर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पेयजल संसाधन विकास निगम, उत्तराकाशी को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः **आपके द्वारा दिनांक 04.04.2017 को ऑनलाइन प्रेषित प्रस्ताव।**

महोदय,

विषयांकित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के इस कार्यालय द्वारा किये गये परीक्षण में निम्न कमियां पाई गयी हैं। अधोलिखित कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. Online Part I के बिन्दु संख्या C(iv) में हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Google earth Map अपलोड किया गया है, जो कि तकनीकी रुप से मान्य नहीं है। GIS generated geo referenced map अपलोड किया जाय व मैप की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। **(कार्यवाही–यूजर ऐजेन्सी)**

2. Part I के बिन्दु संख्या D (i) में " Copy of note containing justification for locating the Project in forest land " के स्थान पर Google earth Map अपलोड किया गया है। निर्धारित स्थान पर वांछित अभिलेख अपलोड किया जाय। **(कार्यवाही–यूजर ऐजेन्सी)**

3. Part II बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तावित वन भूमि के स्थलीय निरीक्षण की दिनांक 22.03.2017 दर्शायी गई है। जबकि अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि 22.04.2015 अंकित है। तद्नुसार त्रुटि का निराकरण करें। **(कार्यवाही–डी0एफ0ओ0, अपर यमुना)**

4. Online part II के बिन्दु संख्या 16 में प्रपत्र भाग II (डी0एफ0ओ0 द्वारा भरा जाने वाला भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग II) के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है। प्रस्ताव की सस्तुति प्रपत्र भाग II में कर यथा स्थान अपलोड की जाय। **(कार्यवाही–डी0एफ0ओ0, अपर यमुना)**

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
यमुना वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून

07/4

(डा0 सी0 के0 कविदयाल)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।